न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3635–पीबीआर/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–10–2015 पारित द्वारा अपर कलेक्टर जिला ग्वालियर, प्रकरण कमांक 2/2015–16/अपील.

.....

मोहनपाल पुत्र श्री रामपाल
निवासी पृथ्वीनगर मुरार जिला ग्वालियर
.....आवेदक

विरूद्ध

1–मध्यप्रदेश शासन
द्वारा अपर कलेक्टर जिला ग्वालियर.
2–अनुविभागीय अधिकारी,
मुरार, जिला ग्वालियर
..... अनावेदकगण

.....

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक–आवेदक
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, पेनल अभिभाषक–अनावेदक शासन

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांकः २८/१/२०१६ को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि कलेक्टर कार्यालय ग्वालियर में प्राप्त टी.एल.कमांक 715 दिनांक 28–4–2015 पर दाताराम आदि निवासी करीगवां

द्वारा इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम करीगवां स्थित भूमि सर्वे कमांक 146 रकबा 0.960 हेक्टर में मौके पर कच्चा रास्ता बनाकर अवैध कॉलोनी बनाई जा रही है । बिल्डर्स, कॉलोनाईजर अवैध रूप से प्लाट बेचकर चले जायेंगे और गॉव के गरीब किसान ठगे जायेंगे । अतः उक्त अवैध कॉलोनी के निर्माण को रोका जाये । उक्त आवेदन पत्र की जॉच ग्राम पटवारी से कराई गई । ग्राम पटवारी द्वारा जॉच कर दिनांक 30–04–2015 को इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि ग्राम करीगवां खुर्द स्थित भूमि सर्वे कमांक 146 रकबा 0.960 हेक्टेयर में से रामौतार पुत्र सुखन जाति जैन भाग रकबा 34/96 मोहनपाल पुत्र श्री रामपाल निवासी पृथ्वीनगर मुरार जिला ग्वालियर, भाग रकबा 32/96 कमलचन्द जैन पुत्र रामप्रसाद जैन निवासी मीरानगर मुरार ग्वालियर भाग रकबा 30.96 भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है । उक्त सर्वे कमांक पर मौके पर आवेदक मोहनलाल एवं रामौतार पुत्र सुखन का हिस्सा संयुक्त रूप से है जो कि 0.66 हेक्टेयर है, जिस पर मुरम से रोड बनाई गई है तथा कमलचन्द का रकबा 0.30 हेक्टेयर खाली पड़ा है । उक्त सर्वे कमांकों के बारे में पुछने पर बताया कि प्रश्नाधीन भूमि नजूल एन.ओ.सी. हो गई है तथा डायवर्सन कराना शेष है तथा कॉलोनाईजर का लायसेंस उनके पास नहीं है अतः प्रश्नाधीन भूमि पर अवैध प्लाटिंग की जा रही है । पटवारी के उपरोक्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 05/अ–2/2014–15/धारा 172(5) दर्ज कर दिनांक 14–8–2015 को आदेश पारित कर आवेदक पर रुपये 8,71,200/– अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर प्रश्नाधीन भूमि को यथास्वरूप में लाये जाने का आदेश दिया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर आवेदक द्वारा प्रथम अपील अपर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर द्वारा अपील प्रकरण कमांक 2/2015–16/अपील में दिनांक 26–10–2015 को अंतरिम आदेश पारित कर आवेदक की ओर से प्रस्तुत स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित एवं मौखिक तर्को में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) ग्राम करीगवां खुर्द तहसील जिला ग्वालियर सर्वे नम्बर 146 रकबा 0.320 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में आवेदक के नाम से भूमिस्वमी दर्ज है और आवेदक द्वारा अपनी भूमि पर जाने के लिये सुविधा पूर्वक रास्ता नहीं होने के कारण मुरम डालकर आने–जाने के लिये स्थायी रास्ते की व्यवस्था की गई है ताकि खेतों पर वाहन व ट्रेक्टर ले जाने में परेशानी न हो । आवेदक द्वारा किसी प्रकार की कोई कॉलोनी का निर्माण नहीं किया गया है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पटवारी से मौके की जो जॉच कराई गई है वह आवेदक की अनुपस्थिति में कराई गई है और राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके के विपरीत अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है ।

(3) आवेदक द्वारा उसे प्राप्त सूचना पत्र का उत्तर प्रस्तुत करें उल्लेख किया गया है उसके द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैध कॉलोनी का निर्माण नहीं किया गया है और न ही संहिता की धारा 172(5) का उल्लंघन नहीं किया गया है एवं न ही प्लाटिंग की गई है । मात्र अपनी भूमि पर आने–जाने के लिये मुरम का रास्ता बनाया गया है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवैध कॉलोनी का निर्माण मानकर आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है ।

(4) मध्यप्रदेश शासन द्वारा संहिता में वर्ष 2013 में संशोधन किया गया है जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में अवैध कॉलोनी निर्माण के संबंध में कार्यवाही करने का अधिकार कलेक्टर को है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी सूचना पत्र एवं पारित आदेश क्षेत्राधिकार रहित है ।

(5) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि आवेदक की ओर से प्रस्तुत उत्तर क्यों कर समाधानकारक नहीं है, अर्थात अनुविभागीय अधिकारी द्वारा सकारण आदेश पारित नहीं किया गया है ।

(6) अपर कलेक्टर द्वारा अपील में स्थगन नहीं देने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है, क्योंकि यदि आवेदक से अर्थदण्ड की राशि वसूल कर ली गई और निर्मित सड़क नष्ट कर दी गई तो उसे अपूर्णनीय क्षति होगी ।

(7) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक को सुनवाई का पर्याप्त अवसर नहीं दिया गया है । यहॉ तक कि उसके द्वारा प्रस्तुत उत्तर का भी उल्लेख आदेश पत्रिका में नहीं किया गया और दिनांक 30–5–2015 को पटवारी के कथन के लिये अंकित नहीं थे इसके बावजूद भी आवेदक की अनुपस्थिति में दिनांक 30–5–2015 को पटवारी के कथन अंकित किया गया, जो कि अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही है ।

(8) अपर कलेक्टर द्वारा स्थगन नहीं दिये जाने संबंधी सकारण आदेश पारित नहीं किया गया है । प्रकरण में स्थगन क्यों नहीं दिया जाये, जबकि अपर कलेक्टर द्वारा अपील दर्ज कर ली गई थी तब सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में था और उसे स्थगन दिया जाना चाहिये था ।

(9) चूँकि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक एवं क्षेत्राधिकार रहित आदेश है इसलिये दोनों अधनीस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाये ।

4/ प्रतिउत्तर में अनावेदक शासन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का बिना व्यपवर्तन कराये अवैधानिक रूप से कॉलोनी का निर्माण किया जाकर प्लाटिंग की गई है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही की गई है, उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर कलेक्टर के आदेश को स्थिर रखे जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। 1986 आर.एन. 1 सौदानसिंह विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है :–

"भू–राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0) – धारा 50 – पुनरीक्षण की शक्तियॉ – बहुत विस्तृत हैं – न केवल विवादित आदेश बल्कि अधीनस्थ राजस्व पदाधिकारी द्वारा पारित ऐसे आदेश जिससे कोई पक्षकार परिवेदित हो, की वैधता का भी परीक्षण किया जा सकता है ।"

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अपर कलेक्टर सहित अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की वैधानिकता पर भी विचार किया जा रहा है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आवेदक की ओर से प्रश्नाधीन भूमि पर बिना व्यपवर्तन कराये कॉलोनी का निर्माण किये जाने के कारण उस पर संहिता की धारा 172(5) के अन्तर्गत प्रश्नाधीन भूमि के बाजार मूल्य 43,56,000/– का 20 प्रतिशत रुपये 8,71,200/– अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। जबकि की धारा 172(5) में दिनांक 21–8–15 को संशोधन किया जाकर बाजार मूल्य के 1 प्रतिशत से अनाधिक अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाना प्रावधानित किया गया है । इस संबंध में (2005) 7 एस सी सी 396 भारत शासन विरूद्ध इंडिया टूबेको एसोसियेशन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आशय का न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि यदि कानून में पुराने प्रावधान के स्थान पर नया प्रावधान प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो पुराना प्रावधान समाप्त हो जाता है और नये प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जायेगी एवं आदेश पारित किये जायेंगे । अतः उपरोक्त प्रतिपादित न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अधिरोपित अर्थदण्ड विधि विपरीत हो जाने से निरस्त किये जाने योग्य है। जहॉ तक अपर कलेक्टर के आदेश का प्रश्न है अपर कलेक्टर द्वारा जब आवेदक की ओर से प्रस्तुत अपील पंजीबद्ध कर ली गई थी, तब उन्हें न्यायहित में प्रकरण में स्थगन आदेश जारी करना चाहिये था, क्योंकि प्रकरण में स्थगन जारी नहीं करने से आवेदक से अर्थदण्ड की राशि वसूल करने और उसके द्वारा निर्मित रास्ता नष्ट करने की पूर्ण संभावना थी, जिससे आवेदक को अपूर्णनीय क्षति होना स्वाभाविक है, इसलिये अपर कलेक्टर का आदेश भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर, जिला ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–10–2015 निरस्त किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 14–08–2015 का बाजार मूल्य 43,56,000/– का 20 प्रतिशत रुपये 8,71,200/– अर्थदण्ड अधिरोपित किये जाने संबंधी अंश निरस्त किया जाकर बाजार मूल्य 43,56,000/– का एक प्रतिशत अर्थदण्ड रुपये 43,560/– अधिरोपित किया जाता है । शेष आदेश यथावत् रखा जाकर निगरानी अंशत स्वीकार की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर